कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक– आदेश क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/ स्थानान्तरण/2019–20 दिनांकः 29.09.2019 के तहत श्री भंवरलाल सोनी, व्याख्याता, रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, बालोतरा, बाड़मेर से राउमावि लीलासर, बाड़मेर किया गया। भंवर लाल सोनी ने अपने स्थानांतरण के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 15104/2019 भंवर लाल सोनी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.10.2019 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम मे याचिकार्थी भंवर लाल सोनी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसे माननीय निदेशक महोदय द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/सी–1/अभ्यावेदन/भंवरलाल सोनी/को.के./19–20 दिनांक 01.11.2019 द्वारा खारिज कर निस्तारित किया गया।

उक्त अभ्यावेदन निस्तारण आदेश के विरूद्व श्री भंवर लाल सोनी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 16301/2019 भंवरलाल सोनी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 16301/2019 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांकः 06.11.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांकः 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री भंवरलाल सोनी के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानन्तरण आदेश दिनांकः 29.09.2019 की याचिकार्थी के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्री भंवरलाल सोनी राउमावि, बालोतरा, बाड़मेर में व्याख्याता के पद पर पदस्थापित रहेगे एवं उनके स्थान पर श्री अमीन नागरा, व्याख्याता, रसायन विज्ञान का अन्तरिम समायोजन राउमावि, बालोतरा, बाडमेर से राउमावि, विदूजा, बाड़मेर में व्याख्याता रसायन विज्ञान के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/ समायोजन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगे।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–1/अभ्यावेदन/भंवरलाल सोनी/को.के./19–20/28 दिनांक–18.11.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. संबंधित संस्था प्रधान।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।
9. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

189# 002 order_ aug19 c-1(4) cbh